संगठन

2.1 सचिवालय का ढांचा

कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, तीन संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार सहित), एक परियोजना सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, सात निदेशक/उप सचिव, एक तकनीकी निदेशक, नौ अवर सचिव, अट्ठारह अनुभाग अधिकारी, एक सहायक निदेशक (रा. भा.), एक लेखा नियंत्रक एक उप लेखा नियंत्रक, दो वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा चार सहायक लेखा अधिकारी तथा उनके सहायक कर्मचारी हैं।

2.2 कोयला मंत्रालय के कार्य

कोयला मंत्रालय भारत में कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण, विकास तथा दोहन से संबंधित है। कोयला मंत्रालय को समय–समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली 1961 के अनुसार आवंटित कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) भारत में कोकिंग कोयला तथा नान–कोकिंग कोयला और लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण और विकास।

(ii) कोयले के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा कीमत निर्धारण से संबंधित सभी मामले।

(iii) ऐसी वाशरियों को छोड़कर, जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन।

(iv) कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन।

(v) कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य।

(vi) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का संचालन।

(vii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन।

(viii) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।

(ix) खानों से उत्पादित और प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर उत्पाद–शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियमावली और बचाव निधि का प्रशासन।

(x) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।

(xi) खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम

और कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई और ऐसे प्रशासन से संबंधित कार्य, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

(xii) कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 26) का प्रशासन।

2.3 सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोयला उद्योग की शीर्ष निकाय कोल इंडिया लि. है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह नीति मार्गनिर्देशों को निर्धारित करने और अपनी सहायक कंपनियों के साथ समन्व्य कार्य के लिए उत्तरदायी है। सीआईएल को उसकी सभी सहायक कंपनियों की ओर से निवेश, आयोजना, जनशक्ति प्रबंधन, हेवी मशीनरी की खरीद, वित्तीय बजट बनाने आदि का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की इसकी निम्नलिखित 8 सहायक कंपनियां है :–

i) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद, झारखंड

ii) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), रांची, झारखंड

iii) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), संकतोड़िया, प.बंगाल

iv) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), नागपुर, महाराष्ट्र

v) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), बिलासपुर, छत्तीसगढ़

vi) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली, मध्य प्रदेश

vii) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), सम्बलपुर, उड़ीसा

viii) सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), रांची, झारखंड।

2.4 अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संगठन

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्तशासी संगठन हैं :–

i) कोयला नियंत्रक संगठन का कार्यालय (सीसीओ) – एक अधीनस्थ कार्यालय।

ii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)–एक स्वायत्त संगठन।

2.5 कोयला नियंत्रक का संगठन

2.5.1 कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर सम्बलपुर, काठगुदाम और आसनसोल में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी

(ओएसडी) की हैसियत से कार्यरत एक जीएम/डीजीएम स्तर के कार्यपालक अधिकारी मुख्य अधिकारी होते हैं और उनकी सहायता के लिए अन्य तकनीकी अधिकारी होते हैं। चयनित खानों में गुणवत्ता की जांच करने के लिए निरीक्षण करने के अलावा, क्षेत्रीय अधिकारी कोयला गुणवत्ता से संबंधित विशिष्ट आदेशों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने और सांविधिक शिकायतों का समाधान करने के लिए नियमित निरीक्षण भी करते हैं। गुणवत्ता सर्वेक्षण देखने के अलावा, उपर्युक्त क्षेत्रीय अधिकारियों को कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित) के अंतर्गत सीसीडीए सहायता से संबंधित क्षेत्रीय कार्य, कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के अंतर्गत खानों की सीमों को खोलने/फिर से खोलने की अनुमति और कोयला कंपनियों के साथ समन्वय भी सौंपा गया है। इसके अलावा, दो विशेष कार्य अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालयों का समन्वय करने के लिए कोयला नियंत्रक का संगठन, कोलकाता में तैनात किए गए हैं। यह एनईसी कमान क्षेत्र की कोयला खानों का कार्य भी देखता है तथा कोयला नियंत्रक को विभिन्न मामलों में सहायता भी करता है।

कोयला नियंत्रक के कार्यालय में एक सांख्यिकीय स्कन्ध है जिसमें दो आईएसएस अधिकारी–एक निदेशक, एक उप–निदेशक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ हैं जो नियमित आधार पर कोयला सांख्यिकियों के एकत्रीकरण, समेकन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकियों का एक प्रमुख स्रोत है।

सीसीओ की सहायता उप/सहायक कोयला नियंत्रकों एवं अन्य अधिकारियों की समूह द्वारा भी की जाती है जो केप्टिव कोयला ब्लॉकों की निगरानी करने, निलम्ब लेखों को खोलने, न्यायिक मामलों से निपटने, रेत भरायी संबंधी उत्पाद शुल्क के संग्रह, सीसीडीए, भुगतान आयुक्त से संबंधित कार्यों आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2.5.2 कोयला नियंत्रक का संगठन विभिन्न संविधियों से उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाता है :

i) कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004

ii) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 (वर्ष 2011 में संशोधित)।

iii) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केंद्रीय) नियमावली, 2011

iv) कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20)।

2.5.3 कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित कार्य भी करता है:

(क) केप्टिव कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के विकास की प्रगति की मानीटरिंग।

(ख) वाशरियों की मानीटरिंग।

(ग) विभिन्न कोयला उत्पादों के निपटान की मानीटरिंग।

(घ) खान बंद करने संबंधी योजनाओं की प्रस्तुति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा विभिन्न कोयला/लिग्नाइट कंपनियों के साथ इस्क्रो अकाउंट करार पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार के नामिती के रूप में कार्य करना।

2.5.4 अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 की अवधि के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन के कार्य–निष्पादन का एक संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

i) **कोयला खानों को खोलने और पुनः खोलने की अनुमति देना:**

कोयला नियंत्रक संगठन ने अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 के दौरान कोयला 11 खानों/लिग्नाइट खानों को खोलने और पुनः खोलने की अनुमति प्रदान की।

ii) **कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अधीन मामलों को निपटाना:**

कोयला नियंत्रक ने 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अधीन 14 अधिसूचनाओं के संबंध में कोयला मंत्रालय को रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

iii) **रेत भराई / संरक्षण कार्यों एवं सड़कों के लिए सीसीडीए द्वारा निधियां रिलीज करना:**

कोयला नियंत्रक, कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) नियमावली, 1975 (वर्ष 2011 में संशोधित) के अधीन गठित कोयला संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। कोयला नियंत्रक का कार्यालय कोलफील्ड क्षेत्रों में रेत भराई, संरक्षण कार्यों, अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों तथा सड़क, रेलवे परियोजनाओं के लिए सीसीडीएसी की निधियों की रिलीज हेतु कोयला कंपनियों से आवेदन/दावों को प्राप्त करता है, प्रक्रियाबद्ध करता है तथा जांच करता है।

अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 की अवधि के दौरान, कोयला संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) ने अपनी 73वीं बैठक में रेत स्टोईंग संरक्षात्मक कार्यों के लिए रेत एवं 80.16 करोड़ रूपये, सड़क/रेल अवसंरचना विकास के लिए 50.89 करोड़ रू. तथा सीसीडीए समिति की 74वीं बैठक में रेत स्टोईंग, संरक्षात्मक कार्यों तथा आर एंड डी के लिए 77.32 करोड़ रू. तथा सड़क/रेल अवसंरचना विकास के लिए 7.90 करोड़ रू. जारी किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:–

स्टोईंग / संरक्षात्मक कार्य एवं आर एंड डी शीर्ष के लिए सीसीडीए का अनुमोदन

(करोड़ रू. में)

अवधि	योजनाएं			
	स्टोईंग	संरक्षात्मक कार्य	आर एंड डी	कुल
73वीं सीसीडीएसी बैठक में अनुमोदित	71.61	8.55	--	80.16
74वीं सीसीडीएसी बैठक में अनुमोदित	72.13	4.57	0-62	77.32

सड़क/रेल अवसंरचना शीर्ष के लिए सीसीडीएसी का अनुमोदन

(करोड़ रू. में)

अवधि	सड़क/रेल अवसंरचना शीर्ष
73वीं सीसीडीएसी बैठक में अनुमोदित	50.89
74वीं सीसीडीएसी बैठक में अनुमोदित	7.90

अब तक दिसम्बर, 2013 तक रेत भराईए स्टोईंग एवं संरक्षात्मक कार्यो के लिए 130.91 करोड़ रू. तथा सड़क/रेल अवसंरचना विकास शीर्ष के लिए 49.96 करोड़ रू. जारी किए जा चुके हैं।

iv) एकत्र तथा विश्लेषण किए गए कोयला नमूनों, प्राप्त एवं निपटाई गई सांविधिक शिकायतें

कोलियरी नियंत्रण नियमावली (सीसीआर) 2004 के अधीन कोयला नियंत्रक कोलियरियों से प्रेषित कोयले की गुणवत्ता की मानीटरिंग करता है तथा उपभोक्ताओं की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों का समाधान करता है। अप्रैल, 2013–दिसम्बर, 2013 की अवधि के दौरान 622 नमूने जांच हेतु लिए गए थे। इस अवधि के दौरान कोई भी सांविधिक शिकायतें प्राप्त नहीं हुई।

v) उत्पाद शुल्क का संग्रहण

अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 की अवधि के दौरान 421.22 करोड़ रू. का संग्रहण किया गया था। जनवरी, 2014 से मार्च, 2014 की अवधि के लिए अनुमानित (प्रक्षेपित) आंकड़ा लगभग 153.78 करोड़ रू. होगा।

vi) कोयला सांख्यिकी का संग्रहण, संकलन तथा प्रकाशन

कोयला नियंत्रक कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन एवं प्रेषण के विभिन्न मानदंडों के संबंध में डाटा के संग्रहण, संकलन, प्रकाशन तथा प्रसार के लिए एकमात्र अभिकरण होने के कारण, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, आरबीआई, डीआईपीपी, भारतीय खान ब्यूरो एवं अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मासिक डाटा मुहैया करता

है। यह वार्षिक कोयला निदेशिका और अनंतिम कोयला सांख्यिकी भी प्रकाशित करता है। कोयला निदेशिका 2011–12 तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2012–13 वर्ष 2013–14 में पहले ही प्रकाशित की गई है। कोयला निदेशिका 2012–13 का कार्य चल रहा है।

vii) कोयला ब्लॉकों की मॉनीटरिंग एवं प्रगति

कोयला नियंत्रक कार्यालय आवंटित कोयला ब्लॉकों तथा उससे जुडे अन्त्य उपयोग परियोजनाओं की प्रगति की तिमाही आधार पर जानकारी एकत्र करता है तथा समीक्षा के लिए समेकित रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। आबंटित कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के विकास की आवधिक समीक्षा करने हेतु दिनांक 21.07.2012 को एक अंतर–मंत्रालयी समूह गठित की गई है।

कोयला नियंत्रक का कार्यालय कैप्टिव कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की प्रगति संबंधी जानकारी एकत्र करता है, समेकित करता है तथा कोयला मंत्रालय को समेकित तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करता है इसके साथ ही मंत्रालय के आईएमजी तथा अन्य बैठकों द्वारा अपेक्षित अन्य संगत रिपोर्टे की प्रस्तुत करता है।

35 केप्टिव कोयला ब्लॉकों से वर्ष 2012–13 में कोयला उत्पादन 37.036 मि.ट. हुआ है। अब तक 40 कोयला ब्लॉकों (20 निजी तथा 20 सार्वजनिक) से उत्पादन शुरू हो चुका है तथा वर्ष 2013–14 के दौरान कोयला ब्लॉकों से उत्पादन 39.908 मि.ट. (अनंतिम) था।

viii) 2013–14 के दौरान हिंदी में उपलब्धियों के बारे में रिपोर्ट :

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक

राजभाषा कार्यक्रम के बारे में प्रगति की निगरानी के लिए कोयला नियंत्रक की अध्यक्षता में क्रमशः 27.06.2013 और 01.11.2013 को 'राजभाषा कार्यान्वयन समिति' की दो तिमाही बैठकें हुई।

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी की जानकारी में सुधार लाने के उद्देश्य से 26.06.2013, 17–18.09.213 तथा 18.12.2013 को हिंदी की तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 13–27 सितम्बर, 2013 तक हिंदी पखवाड़ा तथा हिंदी दिवस आयोजित किया गया था। हिंदी में 48% नोटिंग की जा रही है।

हिंदी में पत्र उचित रूप से जारी किए जा रहे हैं। अप्रैल से दिसम्बर, 2013 की रिपोर्टे निम्नवत हैं:

क्षेत्र	कुल पत्र	हिंदी	अंग्रेजी में	प्रतिशत
''क''	1102	557	1659	66.42
''ख''	210	124	334	62.87
''ग''	800	910	1110	72.07

सभी कर्मचारी लगभग प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ में प्रशिक्षित हैं। अवर श्रेणी लिपिक और आशुलिपिक क्रमशः हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं।

ix) भुगतान आयुक्त के रूप में कार्यः

कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण), 1973 के अनुसरण में 1972–73 में राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के पूर्ववर्ती मालिकों की देयताओं का समाधान निकालने के लिए राशि के संवितरण के प्रयोजनार्थ भुगतान आयुक्त के दो कार्यालय अर्थात धनबाद में तथा कोलकाता में स्थापित किए गए थे। धनबाद कार्यालय का पर्याप्त कार्य समाप्त हो जाने के बाद उक्त कार्यालय को बंद कर दिया गया था और शेष कार्य को 1987 में भुगतान आयुक्त के कार्यालय, कोलकाता को अन्तरित कर दिया गया था।

इस समय कोयला नियंत्रक पदेन भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। भुगतान आयुक्त का कार्यनिष्पादन निम्नवत है:

क्र. सं.	विवरण	कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973
1	केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कोलियरियों की संख्या	226	711
2	31.03.2013 तक बंद किए कोलियरीज खातों की संख्या	185	627
3	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार उन कोलियरीज खातों की संख्या जिन्हें अभी बंद किया जाना है।	41	84
4	2013–14 (दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान उन कोलियरीज की संख्या जिन्हें बंद किया गया	2	0
5	दिसम्बर, 2013 तक उन कोलियरीज की संख्या जिन्हें बंद किया गया	187	627
6	31.12.2013 की स्थिति के अनुसार उन कोलियरीज की संख्या जिन्हें बंद नहीं किया गया	39	84
7	2013–14 (दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान संवितरित मुआवजा राशि	7.04 लाख रू.	शून्य
8	31.12.2013 की स्थिति के अनुसार शेष राशि	3.08 करोड़ रू.	8.02 करोड़ रू.

2.5.5 कोयला नियंत्रक कार्यालय के बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए कोयला नियंत्रक कार्यालय को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। इसके लिए आईएसएम, धनबाद द्वारा एक अध्ययन चालू किया गया है जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है।

2.6 कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है और कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 तथा कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 और कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है। इन तीन योजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, रोजगारदाताओं के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों वाली त्रिपक्षीय ट्रस्टी बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है।

यह संगठन 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लगभग 4.10 लाख भविष्य निधि अंशदाताओं तथा लगभग 4.20 लाख पेंशनभोगियों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। सीएमपीएफओ का मुख्यालय धनबाद में है और देश में कोयला उत्पादक राज्यों में इसके 24 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

2.6.1 कोयला खान भविष्य निधि योजना

वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में, निजी क्षेत्र में प्रचालनरत कोक संयंत्रों को छोड़कर इस योजना में कवर की गयी कोयला खानों और कार्यालय यूनिटों की कुल संख्या 926 थी। 31.03.14 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि योजना 1948 की वर्तमान सदस्यता लगभग 4.10 लाख है।

2013–14 के दौरान अर्थात (01.04.2013 से 31.03.2014 तक) कोयला खान भविष्य निधि में स्वैच्छिक अंशदान की राशि सहित लगभग 5334.00 करोड़ रू. की राशि कोयला खान भविष्य निधि खाता में प्राप्त हुई जिससे कुल अंशदान बढ़कर लगभग 44188.00 रू. हो गया। अंशदान तथा उस पर ब्याज से कुल वृद्धि वापसी एवं अग्रिमों को घटाकर लगभग 40789.83 करोड़ रू. होता है। इस निधि के संपूर्ण संचय को वित्त मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार निवेश किया जाता है। 31 मार्च, 2014 तक निधि के निवेश का कुल अंकित मूल्य लगभग 58987.32 करोड़ रू. था (16,522.50 करोड़ रू. के एसडीएस निवेश सहित)

2013–14 के दौरान सदस्यों के संचय पर 8.75% की दर से अनंतिम ब्याज की अनुमति दी गई है।

01.01.2013 से 31.03.2013 तक तथा 01.04.2013 से 31.03.2014 तक दिए गए अग्रिम के साथ–साथ भविष्य निधि से चुकौती निम्नवत हैं:

भविष्य निधि से चुकौती और अग्रिम के मामले	निपटाए गए और संवितरित मामलों की संख्या (1.1.2013 से 31.03. 2013 तक) तथा संवितरित रु	निपटाए गए और संवितरित मामलों की संख्या (1.1.2013 से 31.03. 2013 तक) तथा संवितरित रु
भविष्य निधि चुकौती मामले	7535	29,595
विवाह अग्रिम, शिक्षा अग्रिम गृह निर्माण अग्रिम	3674	16,178
पी.एफ. और अग्रिम पर संवितरित राशि	**1125.04 करोड़ रू. लगभग**	**4530.17 करोड़ रू. लगभग**

#सभी आंकड़े अनन्तिम हैं।

सीएमपीएफ योजना के संचालन की लागत कोयला कंपनियों द्वारा सीएमपीएफओ को प्रदान की गयी 3% की दर से प्रशासनिक प्रभार से पूरी की जाती है।

सतत प्रयासों एवं अनुवर्ती कार्रवाईयों के कारण मामलों के निपटान में विलंब में कमी आई है। भविष्य निधि चुकौती के निपटान में विलंब के रूझान नीचे दिए गए आंकड़ो में दर्शाए गए हैं:

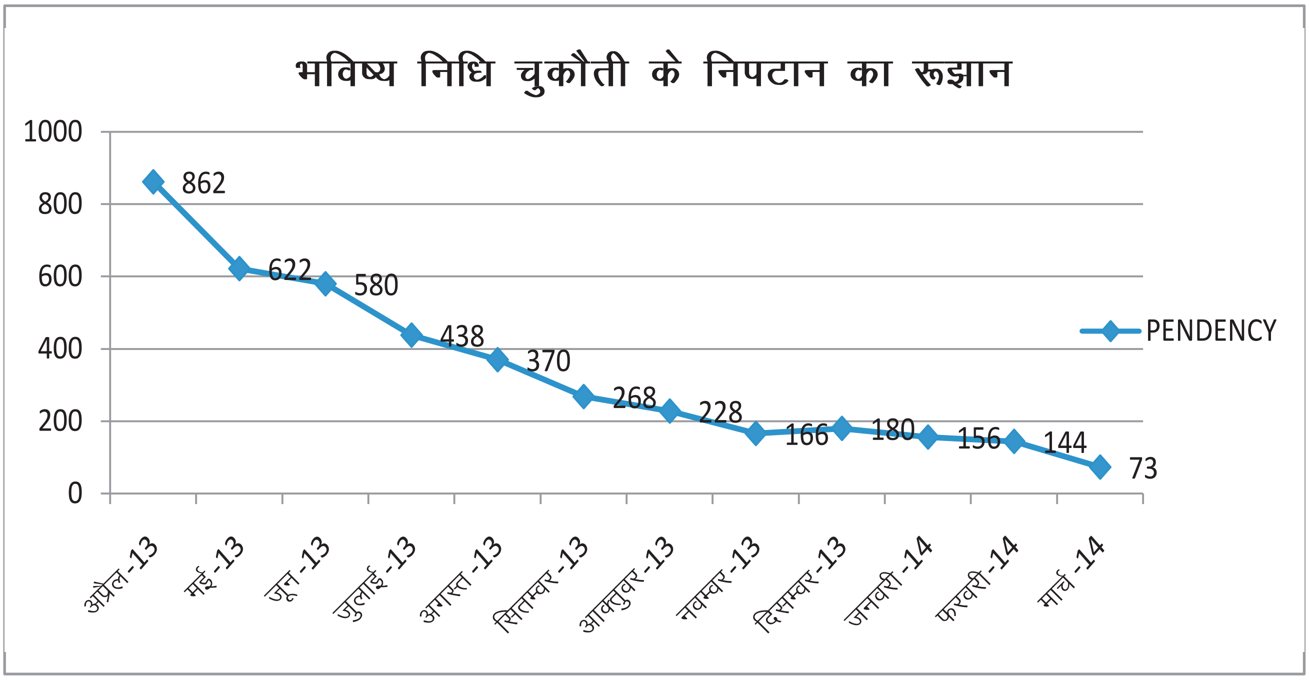

2.6.2 कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना

यदि किसी कर्मचारी की, जो कोयला खान भविष्य निधि योजना का सदस्य है, सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसका/उसकी नामिती भविष्य निधि के अलावा, पिछले 3 वर्ष के दौरान मृतक के खाते में, अधिकतम 10,000 रू. के अध्यधीन, औसत शेष राशि के बराबर प्राप्त करने का हकदार था।

इस योजना के अनुसार नियोजकों द्वारा शामिल कामगारों के कुल वेतन के 0.5% की दर से इस योजना में अंशदान किया जाना अपेक्षित था। केंद्र सरकार के लिए भी इस योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं द्वारा किए गए अंशदान की आधी राशि का अंशदान करना अपेक्षित था। वर्तमान में, इस योजना के संचालन की लागत पूरा करने के लिए, निजी क्षेत्र के नियोक्ता का अंशदान समग्र वेतनों का 0.1% की दर से होता है और केंद्र सरकार उसका 50% अर्थात समग्र वेतन का 0.05% अंशदान करता है।

सीआईएल के कार्यपालक संवर्ग के कर्मचारियों को उक्त योजना के प्रचालन से छूट दी गई थी। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को पूर्व में कोयला मंत्रालय द्वारा इस योजना के प्रचालन से छूट दी गई थी।

2.6.3 कोयला खान पेंशन योजना–1998

कोयला खान भविष्य निधि की धारा 3 ई और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधिक्रमण में किए गए कार्यों तथा ऐसी अधिक्रमण के पूर्व किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार ने कोयला खान पेंशन योजना, 1998 बनाया है। कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से लागू हुई है।

01.01.2013 से 31.03.2013 तक तथा 01.04. 2013 से 31.03.2014 कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के तहत निपटाए गए पेंशन दावों तथा संवितरित कुल राशि नीचे दर्शाई गई है:–

कोयला खान पेंशन योजना, 1998	निपटाए गए और संवितरित % मामलों की संख्या (1.1.2013 से 31.03.2013)	निपटाए गए और संवितरित % मामलों की संख्या (1.4.2013 से 31.03.2014 तक)
निपटाए गए पेंशन दावों की संख्या	7,744	32,597
कोयला खान पेंशन स्कीम 1998 पर संवितरित राशि	302.70 करोड़ रु. लगभग	1323.73 करोड़ रु. लगभग

#सभी आंकड़े अनन्तिम हैं।

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) नियत दिन को कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की निवल परिसंपत्ति।

(ख) कर्मचारी के मासिक वेतन के दो तथा एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि जो निधि में कर्मचारी और नियोजक के अशंदान बराबर–बराबर शेयर का अपना–अपना कुल अंशदान करते हैं, कर्मचारी की निधि से नियम दिन से अंतरित किया जाना है।

(ग) 1 अप्रैल, 1989 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से 31.3.1996 तक कर्मचारी को प्रदत्त मूल एवं मंहगाई भत्ता के 2% के बराबर राशि और 1 अप्रैल 1996 से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, उसके वेतन से अंतरित की जाएगी।

(घ) 1 जुलाई, 1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख इसमें जो भी बाद में हो, से कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिकलित एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि कर्मचारी के वेतन से 1.7.1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, इसमें से जो भी बाद में हो, से अंतरित की जानी है।

(ङ) कर्मचारी के वेतन के एक तथा दो तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का केंद्र सरकार द्वारा नियत तारीख से अंशदान किया जाना है बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन एक हजार छः सौ रू. प्रति माह से अधिक हो, केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान मात्र एक हजार छः सौ रू. प्रति माह के वेतन पर देय अधिकतम राशि के बराबर होगा।

(च) योजना के प्रावधान की शर्तों के अनुसार इस योजना के नये इच्छुक सदस्यों सहित पेंशन सदस्यों द्वारा राशि जमा की जाएगी।

वर्ष 2013–14 के दौरान 31 मार्च, 2014 (सरकारी शेयर तथा ब्याज सहितद्ध की स्थिति के अनुसार सेवा कालीन सदस्यों द्वारा पेंशन अंशदान में निवल वृद्धि लगभग 2200.00 करोड़ रू. है।

कवरेज :–

(क) वे सभी कर्मचारी, जो समाप्त की गई कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31 मार्च, 1998 की कर्मचारियों की नामावली में थे।

(ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए।

(ग) ऐसे सभी सदस्य जिन्होंने योजना के तहत विनिर्दिष्ट शर्त के साथ पीएस–1 और पीएस–2 प्रपत्र जैसी भी स्थिति हो, में पेंशन निधि की सदस्यता को चुना है।

(घ) 1.4.94 से 31.3.1998 की अवधि में सेवाकाल के दौरान मृत सभी कर्मचारियों को दिनांक 12.8.2004 के जीएसआर सं. 521 (ई) के अनुसार योजना के मानित इच्छुक सदस्यों के रूप में माना जाएगा।

लाभः—

(क) मासिक पेंशन (अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवा से निकलना।)

(ख) विकलांगता पेंशन

(ग) मासिक विधवा अथवा विधुर पेंशन

(घ) बाल पेंशन

(ङ) अनाथ पेंशन

(च) अनुग्रह राशि का भुगतान

सतत प्रयासों एवं अनुवर्ती कार्रवाईयों के कारण मामलों के निपटान में विलंब में कमी आई है। भविष्य निधि चुकौती के निपटान में विलंब के रूझान नीचे दिए गए आंकड़ो में दर्शाए गए हैं:

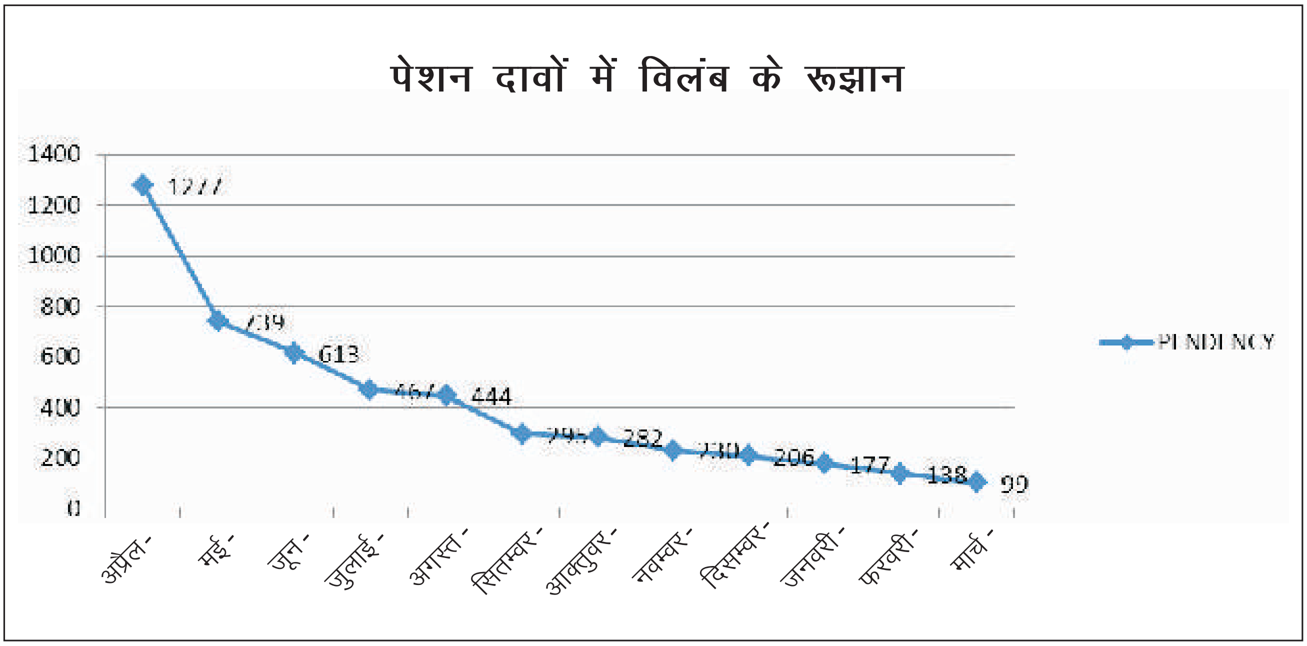

टिप्पणी : कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2013–14 (31.03.2014 तक) के लिए सामग्री में प्रदत्त सभी आंकड़े अनंतिम (गैर–लेखा परीक्षित) हैं।